न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री अवधेश मीणा, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 64 / 2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025 / 123

प्रार्थीया	बनाम	गैरनिगरानीकार
उगमा देवी पत्नी गोपाल लाल उम्र 63 वर्ष जाति माली निवासी नजदीकी रेल्वे स्टेशन बोरावड़ तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन (राज0)		1. मूलचन्द पुत्र गोपाल लाल जाति माली निवासी नजदीकी रेल्वे स्टेशन, बोरावड़ तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन 2. धनश्याम लाल पुत्र गोपाल लाल जाति माली निवासी नजदीकी रेल्वे स्टेशन बोरावड़ तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी
अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1656 दिनांक 31.08.1998

–:निर्णय:– दिनांकः–05.05.2026

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार से हैः–प्रार्थीया / अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध बाबत अपील नामान्तरकरण संख्या 1656 दिनांकः–31.08.1998 का श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश के समक्ष दिनांक 06.04.2023 को अपील कर रखी थी जो दिनांक 08.09.2023 तक श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर कुचामन सिटी के समक्ष तलबी की स्टेज पर चल रही थी फिर दिनांक 06.12.2023 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय डीडवाना–कुचामन के पत्रांकः–प.13 (1)कोर्ट / 2023 / 06 दिनांकः–08.09.2023 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन भिजवायी जाने का आदेश पारित हो गया। आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.01.2024 को सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दे दिया लेकिन दिनांक 04.01.2024 को श्रीमान के समक्ष पत्रावली पेश हुई किन्तु श्रीमान अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण हमें बिना सूचना ही श्रीमान के न्यायालय क्षैत्र में दर्ज होकर चली गई और फिर हम दिनांक 04.01.2024 को न्यायालय में हाजिर होने पर पता चला कि श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है आगे की तारीख पेशी बताये बिना ही दिनांक 11.03.2024 को अपीलान्ट व वकील अपीलान्ट अनुपस्थित दर्शाया जाकर पत्रावली को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। अपीलान्ट की अपील बिना सुनवाई के ही अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने से अपीलान्ट

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

के मूल अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। अपीलान्ट अपने अपील को मैरिट पर तय करवाना चाहते है। अपीलान्ट को पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने का ज्ञान कतई नही था अपने कुचामन सिटी के वकील से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया की पत्रावली डीडवाना चली गई है जिसको ढुढ़ने से दिनांक 30.05.2025 को नकले लेने पर मालूम हुआ कि पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो चुकी है जिसको अपीलान्ट रेस्टोर करवाने की पूर्ण अधिकारी है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सी.पी.सी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की अपील को रिस्टोर का पुनः दर्ज किया जाकर मैरिट पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 मूलचन्द को जारी नोटिस की रजिस्टर्ड डाक की रसीद मय ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश हुई तथा अप्रार्थी धनश्याम की और से वकील श्री जमनलाल जांगिड़ ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस पत्रावली सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया की मूल अपील दिनांक 11.03.2024 को न्यायालय हाजा द्वारा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई थी जबकि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी प्रकरण पुनः रेस्टोर करने हेतु दिनांक 30.06.2025 को परिसीमा अवधि समाप्त हो जाने के बाद पेश किया है। प्रार्थीया द्वारा 15 माह की अवधि व्यतित हो जाने के बाद रेस्टोर प्रार्थना–पत्र पेश किया है तथा प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र एवं बहस में भी परिसीमा अवधि समाप्त हो जाने के बाद प्रार्थना–पत्र पेश करने का कोई उचित एवं वैध कारण नहीं बताया है। प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अपील पुनः रेस्टोर किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है । अतः प्रार्थीया का रेस्टोर प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **05.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

(अवधेश मीणा, IAS)
जिला कलक्टर,
डीडवाना–कुचामन